प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.06.2025

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02-06-25 को वादी श्री अविनाश सिरोही पुत्र गजेन्द्र सिहं निवासी ग्राम शामी हाफिजपुर जिला हापुड ने सूचना दी की, मेरे साले राहुल डागर व आशीष डागर के साथ होटल की साझेदारी में पैसे के लेन देन की बात को लेकर विपक्षीगण ने मेरे साले राहुल डागर व मेरे साथ मारपीट की व राहुल डागर पर हत्या की नियत से पिस्टल से गोली मार दी, तथा बचाव करने आये, आशीष डागर पर पिस्टल से जान से मारने की नियत से गोली चला दी जिससे राहुल डागर को यशोदा अस्पताल संजय नगर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया व आशीष को घायल अवस्था में सर्वोदया अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया है, उक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, जिला स्तर व थाना स्तर पर टीमो का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त के 02 अभियुक्तगण को दिनांक 06-06-25 को मय घटना में प्रयुक्त असलाह सहित गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। दिनांक 10-06-25 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त प्रदीप शर्मा उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर हिन्डन मैट्रो स्टेशन से रोटरी गोल चक्कर जाने वाले रास्ते से हिन्डन विहार कट के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

प्रदीप शर्मा पुत्र सोमदत्त शर्मा निवासी म0न0 डी-563 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र 48 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि अभि0 नागेन्द्र व मनीष व मृतक राहुल डागर साझेदारी में होटल शिवा पैलेस हल्द्वानी उत्तराखंड चलाने का कारोबार करते थे। आपस में लेन देने को लेकर विवाद चल रहा था, अभि0 रितेश बिन्दल उर्फ लाला द्वारा राहुल डागर से ब्याज पर उधार पैसे लिये गये थे। उन पैसो के बयाज लेकर भी विवाद था। मैं मनीष चौधरी का केयर टेकर था, मोहित, नागेन्द्र व रितेश बिन्दल के साथ मैं भी राहुल डागर की हत्या में शामिल था। दिनांक 1-6-25 की शाम करीब 09.00 बजे हम लोग रितेश बिन्दल के हारमनी पाईन्ट राजनगर सोसायटी में 6^{th} फ्लोर पर स्थित आफिस/गोदाम मैं मौजूद थे और वहीं बैठकर शराब पी रहे थे। जहां नागेन्द्र द्वारा राहुल डागर को फोन किया तो राहुल डागर ने बताया कि मैं हारमनी पाईन्ट के सामने खडा होना बताया था। तब नागेन्द्र, मोहित, रोहित शर्मा उर्फ मन्त्री, व मैं नीचे आये थे, जहां रितेश बिन्दल उर्फ लाला व मनीष भी एक गाडी में मौजूद थे, हमने राहुल डागर व उसके साथ आये अविनाश सिरोही के साथ मारपीट कर दी थी। तथा मोहित व नागेन्द्र ने राहुल डागर पर जान से मारने की नियत से अपनी अपनी पिस्टल से गोली चलायी थी। तभी वहां राहुल डागर को बचाने उसका चचेरा भाई आशीष चौधरी भी आ गया था तो नागेन्द्र ने आशीष चौधरी को मारने की नियत से उस पर गोली चला दी थी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.06.2025 की रात्रि को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1- प्रशान्त उर्फ कबूतर पुत्र पवन 2- विक्की उर्फ चेटी पुत्र चेंटी 3- सन्नी यादव द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी व वादी के बेटे को जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली मार देना जिससे वादी की पत्नी व पुत्र गम्भीर रुप से घायल हो जाना तथा अभियुक्तगण द्वारा पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी देना तथा ईलाज के दौरान वादी के पुत्र की मत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 331(8),109,351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना में अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सन्नी उर्फ अनुभव यादव पुत्र प्रदीप यादव निवासी म0न0 10 बंगला साइड ओल्ड टाइप 3 आर्डिनेंस फैक्ट्री थाना मुरादनगर गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सन्नी उर्फ अनुभव ने पूछताछ के दौरान बताया कि वादी पिन्टू के लडके से मेरा व मेरे साथी का पूर्व से ही लडाई-झगडा चल रहा था। साहब करीब डेढ साल पहले पिन्टू के लडके ने मेरे व मेरे साथी प्रशान्त के ऊपर पहले भी मारपीट का मुकदमा लिखवा दिया था तब से ही मैं व मेरे साथी पिन्टू के परिवालो वालो से रंजिश मानने लगे। दिनांक 07.06.2025 को भी हमारा पिन्टू के लडके के बीच मे लड़ाई झगडा हुआ था जिसमें मेरे सिर पर चोट आयी थी उसी दिन से मैने व मेरे साथी ने इनसे बदला लेने की सोची ली और फिर कल दिनांक 08.06.2025 को मैं तथा मेरे साथी प्रशान्त उर्फ कबूतर व विक्की, पिन्टू के घर उसके बेटे को मारने के लिए गये तो उसके बेटा व पिन्टू की पत्नी मौजूद मिली। प्रशान्त ने अपनी पिस्टल से पिन्टू के पुत्र पंकज व पिन्टू की पत्नी के ऊपर गोली चलाई थी फिर हम तीनो वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता-

सन्नी उर्फ अनुभव यादव पुत्र प्रदीप यादव नि0 ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर मारपीट/गाली गलौच का 01 अभियोग तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गौरव बाल्मीक पुत्र स्व0 मुकेश निवासी म0नं0 151 गली नं0 02 पंचवटी कॉलोनी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी गाँव बुढाना थाना बडौत बागपत उम्र करीब 28 वर्ष को करावल नगर चौक ऑटो स्टैण्ड थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव बाल्मीक पुत्र स्व0 मुकेश उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आवयश्क वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव बाल्मीक पुत्र स्व0 मुकेश उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व उसके अन्य साथियों का संगठित गिरोह है जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने हेतु अवैध हथियार के साथ लूट व चोरी आदि जैसे जघन्य अपराध कारित करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गौरव बाल्मीक पुत्र स्व0 मुकेश निवासी म0नं0 151 गली नं0 02 पंचवटी कॉलोनी लोनी बार्डर गाजियाबाद मूल निवासी गाँव बुढाना थाना बडौत बागपत उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव बाल्मीक पुत्र स्व0 मुकेश उपरोक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व जिला बागपत में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि से सम्बन्धित 07 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.06.2025 को थाना शालीमार गार्डन का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 09.06.25 को ट्रांस हिंडन जोन के थाना शालीमार गार्डन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, महिला हेल्प डेस्क,

अभिलेखों आदि को चेक किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना प्रभारी शालीमार गार्डन को जनता केंद्रित (Citizen Centric) पुलिसिंग की दिशा में एक पहल के अन्तर्गत आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के साथ मृदुल व्यवहार रखते हुए उनकी शिकायत पर त्वरित एवं तत्परता से कार्यवाही करने व अन्य निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिए गये।

- कार्यालय/बैरिक/थाना परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है।
- थाने पर वेटिंग एरिया होना चाहिए।
- थाने पर लगे सभी कैमरे चालू हालत में होने चाहिए तथा रिकार्डिंग का रिकार्ड सुरक्षित होना चाहिए।
- पानी व लाइट की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए।
- डाक ऑफिस, माल खाना व सीसीटीएनएस ऑफिस में अभियोगों से सम्बन्धित दस्तावेज, माल व उपकरणों का रख-रखाव ठीक होना चाहिए।
- सभी अभियोग से सम्बन्धित रिकार्ड अपडेट होने चाहिए।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.06.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष का घर से टयूशन के लिए जाने और वापस ना आने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की। जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की बरामदगी हेतु टीमें गठित की गयी। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़िता को बरामद किया गया तथा पीड़ता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) BNS व ¾(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

आज दिनांक 10.06.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.नीरज पुत्र कन्हैया नि0 ग्राम पीपरी थाना पीपरपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 22 वर्ष 2. कुलदीप पुत्र लालबहादुर नि0 ग्राम धनेडी थाना सुरसा जनपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष 3. रोहित पुत्र झण्डीलाल नि0 ग्राम जसगुंवा कला थाना बाजना जिला छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र 20 वर्ष को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त नीरज ने बताया कि मेरी इन्स्टाग्राम के माध्यम से पीडिता से दोस्ती हो गई थी मै तथा मेरे दोनों दोस्त कुलदीप व रोहित लोहिया लोहा मंडी मे मजदूरी करते है। इस्टाग्राम के माध्यम से मेरी उससे बातचीत शुरू हो गई। मैं वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था तथा मैंने अपने दोस्तो के सहयोग से उसके साथ गलत काम किया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पताः-

1.नीरज पुत्र कन्हैया नि0 ग्राम पीपरी थाना पीपरपुर जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 22 वर्ष

2. कुलदीप पुत्र लालबहादुर नि0 ग्राम धनेडी थाना सुरसा जनपद हरदोई उम्र करीब 20 वर्ष

3. रोहित पुत्र झण्डीलाल नि0 ग्राम जसगुंवा कला थाना बाजना जिला छतरपुर मध्यप्रदेश उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मोदीनगर पुलिस टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 10.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर वाहन चोर अभियुक्त 1. शिवम अधिकारी उर्फ शिबू पुत्र दीपक अधिकारी निवासी प्लॉट नं0 414 गली नं0 5 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष 2. अमित यादव उर्फ भडाना पुत्र नरेश यादव निवासी मकान नं0 512 गली नं0 3 ज्योति विध्या स्कूल के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष 3. आदर्श रावत उर्फ टिंकू उर्फ पाजी पुत्र विरेन्द्र रावत निवासी राज विहार मंदिर के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई, उपरोक्त मोटरसाइकिल की चोरी के सम्बन्ध में ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2),317(5) में अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम आपस में दोस्त हैं, हम तीनों लोग पहले मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रेकी करते हैं तथा मौका पाकर मोटरसाइकिल आदि वाहन चोरी कर लेते है, हम अधिकांश फैक्ट्री एरिया व घनी आबादी के आसपास के क्षेत्रों से दुपहिया वाहनों की चोरी कर छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसे आपस में बांट लेते हैं और अपने शौक पूरा करते हैं, हमसे जो मोटरसाइकिल बरामद हुई है वह हम लोगों ने दिल्ली से चोरी की थी, आज हम इसको बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.शिवम अधिकारी उर्फ शिबू पुत्र दीपक अधिकारी नि0 प्लॉट नं0 414 गली नं0 5 रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

2.अमित यादव उर्फ भडाना पुत्र नरेश यादव निवासी मकान नं0 512 गली नं0 3 ज्योति विध्या स्कूल के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

3.आदर्श रावत उर्फ टिंकू उर्फ पाजी पुत्र विरेन्द्र रावत निवासी राज विहार मंदिर के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है, चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत किया गया है। पूर्व में अभियुक्त अमित यादव उर्फ भडाना के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.06.2025 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना भोजपुर फरीदनगर मार्ग पर एक ट्रक में पशुओं की खाल व अवशेष का परिवहन किया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 1. मोहम्मद वसीम पुत्र मुरसलीन 2. इमरान पुत्र सरबर 3. हासिम पुत्र जाहिद हुसैन उर्फ अच्छन 4. कलीम अहमद पुत्र इलियास को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 10.06.2025 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त भूरा पुत्र भोलू कुरैशी निवासी पुरानी चुंगी हापुड उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और हमारे पूर्व में पकडे गये साथी ट्रक में पशुओं के वेस्टेज अवशेष व खाल को हापुड से पंजाब ले जा रहे थे जिसमें कुछ गौवंश की खाल के भी अवशेष थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भूरा पुत्र भोलू कुरैशी निवासी पुरानी चुंगी हापुड उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.06.2025 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली नगर पर तहरीर दी गई जिसमें अभियुक्त तुषार उर्फ सलीम द्वारा वादिया के साथ मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, व फोटो डिलिट कर फोन तोडना व गहने गिरवी रखवा कर पैसे ले लेना व शादी का झांसा देकर बार बार सम्बन्ध बनाने तथा तुषार उर्फ सलीम के पिता व परिवारजन द्वारा गाली गौलच कर हलाला करने व धर्म परिवर्तन कराना बताया गया। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा अथक प्रयास मैनुअल इन्टेलीजेन्स, लोकल इनपुट की मदद से वाँछित अभियुक्त तुषार उर्फ सलीम पुत्र बलिदाद निवासी म0न0 586 गाँव देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड को राका पार्क अम्बेकर रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी मुलाकात वादिया से आरडीसी राजनगर मे हुई थी। तथा मै व वादिया धीरे धीरे आपस मे बात चीत करने लगे फिर हमारी दोस्ती हो गई थी मैं वादिया को अलग अलग होटलो में लेकर गया था जहां पर हमारे बीच शारीरिक सम्बन्ध भी बने थे।

नाम पता अभियुक्त-

तुषार उर्फ सलीम पुत्र बलिदाद निवासी म0न0 586 गाँव देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम